

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
नलकूप खण्ड, मीरजापुर।


सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या:-01/2020-21, नलकूप खण्ड, मीरजापुर।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्नलिखित सूची के अनुसार निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी दिनांक-27.08.2020 को नलकूप खण्ड, मीरजापुर में अपरान्ह 11:00 बजे से निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जायेगी।

निष्प्रयोज्य सामग्री केन्द्रीय भण्डार नलकूप कालोनी, पथरहिया, मीरजापुर में उपलब्ध है। नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र दिनांक 10.08.2020 से दिनांक-24.08.2020 तक सुबह 10:30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, मीरजापुर के कार्यालय से निर्धारित मूल्य देकर कार्य अवधि में प्राप्त किये जा सकते हैं। दिनांक-24.08.2020 अपरान्ह 04.00 बजे के पश्चात आवेदन पत्र नहीं दिया जायेगा। भरे हुए आवेदन-पत्र निर्धारित धरोहर धनराशि तथा पहचान-पत्र के साथ दिनांक-26.08.2020 को अपरान्ह 04.00 बजे तक खण्डीय कार्यालय में जमा करना होगा।

क्र० सं०	सामग्री का विवरण	युनिट मात्रा कि०ग्रा० में	लाट संख्या	धरोहर धनराशि	आवेदन पत्र का मूल्य	स्थान का नाम/पता जहाँ सामग्री उपलब्ध है।
1	2	3	4	5	6	7
1	पी०वी०सी० ब्रन्ट कापर वायर	3473	01	1,14,338.00	300+18 प्रतिशत/जी. एस.टी नियमानुसार	नलकूप खण्ड, मीरजापुर
2	कास्ट आयरन स्कैप	732	02	1,685.00	-तदैव-	-तदैव-
3	एस०एस०स्कैप	123	03	283.00	-तदैव-	-तदैव-
4	एम०एस०स्कैप	890	04	2,049.00	-तदैव-	-तदैव-

नियम एवं शर्तें उत्तर प्रदेश, सरकार की अधिकृत वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट <http://irrigation.up.nic.in> से प्राप्त किया जा सकता है, अतिरिक्त जानकारी हेतु अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, मीरजापुर के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

  
अधिशासी अभियन्ता  
नलकूप खण्ड, मीरजापुर।

## नलकूप खण्ड, मीरजापुर।

### नीलामी की मुख्य भातों:-

1. धरोहर धनराशि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, मीरजापुर के नाम बन्धक तथा मीरजापुर में देय बैंकर चेंक/बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही देय होगी। जिसे नीलामी स्वीकृत होने पर 25 प्रतिशत धनराशि के रूप में समायोजित कर लिया जायेगा। धरोहर धनराशि जमा किये बिना नीलामी में भाग नहीं लिया जा सकता। धरोहर धनराशि नगद रूप में मान्य नहीं होगी।
2. बोलीदाता को अपनी फोटो पहचान-पत्र, निवास स्थान, कार्यालय के पते तथा दूरभाष संख्या-नोटरी से सत्यापित कराकर नीलामी के दिन निर्धारित समय तक प्रस्तुत करना होगा।
3. बोलीदाता को अपना फर्म का इनकमटैक्स का पैन नम्बर, जी0एस0टी0 नम्बर तथा व्यापार कर में रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित फोटो प्रति भी जमा करना अनिवार्य होगा। इनकमटैक्स का पैन नम्बर जी0एस0टी0 नम्बर तथा व्यापार कर का रजिस्ट्रेशन न होने पर बोली में भाग नहीं लिया जा सकेगा।
4. नीलामी निर्धारित तिथि को गठित समिति के समक्ष की जायेगी।
5. उपरोक्त सामग्री जहाँ भी है, जैसे भी है के आधार पर नीलामी की जायेगी।
6. नीलामी की जाने वाली सामग्री केन्द्रीय भण्डार नलकूप कालोनी, पथरहिया, मीरजापुर में उपलब्ध है का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में सम्बन्धित अवर अभियन्ता (भण्डार)/भण्डार पाल से सम्पर्क कर किया जा सकता है।
7. अधिकतम बोलीदाता को बोली मूल्य का 25 प्रतिशत (धरोहर धनराशि भागमिल करते हुए) तुरन्त जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. विक्रय किये गये आवेदन-पत्र का मूल्य वापस नहीं किया जायेगा।
9. सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये नीलामी को निरस्त करने का अधिकार होगा।

अधिशासी अभियन्ता  
नलकूप खण्ड, मीरजापुर।  
#73

### निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी की अन्य भातों:-

1. बोलीदाता के अलावा अन्य किसी बाहरी व्यक्ति का नीलामी स्थल में प्रवेश वर्जित रहेगा।
2. नीलामी की स्वीकृति विभाग/शासन स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी। जिन्हे बिना कारण बताये नीलामी स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने की सूचना प्रेशन के पन्द्रह दिवस के अन्दर अवशेष 75 प्रतिशत जमा करना होगा। तदोपरान्त 15 दिवस के अन्दर अधिशासी अभियन्ता के लिखित आदेश पर सामग्री उठाना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में 75 प्रतिशत भोश जमा धनराशि जमा न करने पर पूर्व में जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर लिया जायेगा।
3. उच्चतम बोली बोलने वाले को कुल बोली मूल्य पर जी.एस.टी. नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा बोली अस्वीकृत होने पर 25 प्रतिशत जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी।
5. नीलामी हेतु सामग्री जहाँ है, जैसे की स्थिति में प्रदान किया जायेगा। बोली स्वीकृत के पश्चात नीलामी सामग्री सन्दर्भ में कोई भी कायत स्वीकार्य नहीं होगा।
6. उच्चतम बोलीदाता द्वारा नीलामी के अनुमोदन होने एवं सामग्री उठाने तक दफ्तरित सामग्री की सुरक्षा प्रबन्ध स्वयं करनी होगी।
7. नीलामी की समस्त प्रक्रिया वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के पैरा 260 ए एपेन्डिक्स एक्स आई एक्स डी के अन्तर्गत की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता  
नलकूप खण्ड, मीरजापुर।  
#73